आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Ministry of Home Affairs

Prime Minister's Scholarship Scheme for Wards of CAPFs, Assam Rifles and State Police

CAPF और असम राइफल्स कर्मियों के बच्चों और विधवाओं तथा आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, जो पहली प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हों। 2026-27 के आवेदन 31 अक्टूबर 2026 तक खुले हैं।

क्या मिल सकता है

लड़कियों के लिए 3,000 रुपये महीना (36,000 रुपये सालाना) और लड़कों के लिए 2,500 रुपये महीना (30,000 रुपये सालाना), साल में एक बार, कोर्स के अनुसार अधिकतम पांच साल तक। हर साल CAPF और असम राइफल्स के बच्चों के लिए 2,000 नई छात्रवृत्तियां (1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए) और राज्य पुलिस के बच्चों के लिए 500 (250 और 250)।

किसके लिए है

पात्र CAPF या असम राइफल्स कर्मी का बच्चा या विधवा, या आतंकी या नक्सली हमले में शहीद राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पुलिस कर्मी का बच्चा, जो पहली प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हो, आवेदन कर सकता है।

मुख्य शर्तें

- आप CAPF या असम राइफल्स के ऐसे कर्मी के बच्चे या विधवा हों जो सरकारी सेवा के कारण मारे गए या जिनकी मृत्यु हुई, जो दिव्यांग हैं, जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है, या जो सेवानिवृत्त या सेवारत (अधिकारी रैंक से नीचे) हैं। या आतंकी या नक्सली हमले में शहीद राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पुलिस कर्मी के बच्चे हों।
- कोर्स पहली प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, जैसे BE, B.Tech, MBBS, BDS, BBA, BCA, B.Pharma या B.Sc नर्सिंग, और संस्थान UGC, AICTE, MCI या संबंधित नियामक से मान्यता प्राप्त हो। विदेश में पढ़ाई पर लागू नहीं।
- नए आवेदक को प्रवेश योग्यता (12वीं, डिप्लोमा या स्नातक) में कम से कम 60 प्रतिशत चाहिए। नवीनीकरण के लिए हर साल कम से कम 50 प्रतिशत के साथ पास होना ज़रूरी है।
- आधार या आधार नामांकन संख्या ज़रूरी है। नाबालिग माता या पिता का आधार दे सकता है।
- साथ में कोई दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं ले सकते।
- एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को यह छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- नए आवेदकों का चयन पहले श्रेणी, फिर प्रवेश योग्यता के प्रतिशत, फिर उम्र (अधिक उम्र को प्राथमिकता), फिर माता या पिता के रैंक (कम रैंक को प्राथमिकता) के आधार पर होता है।

दस्तावेज़

- प्रवेश योग्यता (12वीं, डिप्लोमा या स्नातक) की अंकतालिका, स्वयं सत्यापित।
- आपके संस्थान का बोनाफाइड प्रमाणपत्र।
- सेवारत कर्मियों के लिए: सेवा प्रमाणपत्र (दिशानिर्देश का अनुलग्नक A)।
- श्रेणी के अनुसार: PPO या डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, या वीरता पुरस्कार प्रमाणपत्र।
- आतंकी या नक्सली हमले में शहीद राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए: राज्य सरकार का शहादत प्रमाणपत्र।
- आधार संख्या, और भुगतान के लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता।

आवेदन कैसे करें

1. नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in) पर दिशानिर्देश और FAQ पढ़ें।
2. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। 2026-27 के लिए आवेदन 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक खुले हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कागज़ डाक से नहीं भेजने होते।
3. अपनी श्रेणी के कागज़ात अपलोड करें। जमा करने के बाद आवेदन में बदलाव नहीं हो सकता।
4. आपका संस्थान आवेदन ऑनलाइन सत्यापित करता है, फिर बल या राज्य के नोडल अधिकारी उसे सत्यापित करते हैं। संस्थान का सत्यापन 15 नवंबर 2026 तक और नोडल अधिकारी का 30 नवंबर 2026 तक खुला है।
5. पंजीकरण आईडी से पोर्टल पर स्थिति देखें। पैसे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आते हैं।

स्थिति

आखिरी तारीख: 31 अक्टूबर 2026

आधिकारिक स्रोत: https://scholarships.gov.in/public/FAQ/FAQonPMSSS.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://scholarships.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/warb/PMSS_Guidelines_1197_3001-2023-24.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/pmss-wards-of-capf-police/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।